International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877
Peer Reviewed & Refereed Journal
Volume: 4 | Issue: 1
April-June 2026
Page No: 360-362
DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i1.625

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मनोज कुमार वत्स[1]; भारतेन्दु वत्स[2]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजाश्रीकृष्ण दत्त पी.जी. कॉलेज, जौनपुर, इंडिया

[2]शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, राजाश्रीकृष्ण दत्त पी.जी. कॉलेज, जौनपुर, इंडिया

Corresponding Author Email: drmanojvats@gmail.com

सारांश: भारतीय समाज में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक पारिवारिक संरक्षण से विकसित होकर राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, प्रवासन तथा संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन ने वृद्धजन, विधवाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाओं को बढ़ाया है। इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का माध्यम भी हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पेंशन धारकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बहुआयामी विश्लेषण करना तथा यह मूल्यांकन करना है कि ये योजनाएँ किस सीमा तक लाभार्थियों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता एवं आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेंशन राशि की अपर्याप्तता, वितरण में विलंब, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा पात्रता संबंधी समस्याएँ योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं के लिए योजनाओं के सुधार हेतु उपयोगी आधार प्रदान करेंगे।

मुख्यशब्द: सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाएँ, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, वृद्धजन, कल्याणकारी राज्य

I. प्रस्तावना

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूप से परिवार, समुदाय और पारस्परिक सहयोग की परंपराओं पर आधारित रही है। संयुक्त परिवार व्यवस्था ने वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों तथा अन्य आश्रित सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। किंतु औद्योगीकरण, नगरीकरण, प्रवासन और बाजारवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार के परिणामस्वरूप पारंपरिक संरक्षण तंत्र कमजोर हुआ, जिससे समाज के अनेक कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करने लगे। इस परिस्थिति में राज्य की भूमिका एक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व, विशेषकर अनुच्छेद 41, राज्य को नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। इसी संवैधानिक आधार पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा अन्य सामाजिक सहायता योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। ये योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, गरिमापूर्ण जीवन तथा सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करती हैं।

II. अध्ययन के उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया गया है।

III. परिणाम एवं विश्लेषण

भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से सामुदायिकता, पारिवारिक उत्तरदायित्व और पारस्परिक सहयोग की परंपराओं पर आधारित रहा है। परिवार को सामाजिक संरचना की मूल इकाई माना गया, जिसने अपने सदस्यों- चाहे वे वृद्ध हों, विधवा हों, दिव्यांग हों अथवा आर्थिक रूप से निर्भर सभी को संरक्षण प्रदान किया है परंतु औद्योगीकरण, नगरीकरण, प्रवासन, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन तथा बाजारवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार ने पारंपरिक संरक्षण तंत्र को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया। परिणामस्वरूप समाज के अनेक वर्ग, विशेषकर वृद्धजन, विधवाएँ और दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति में पहुँच गए। [1] इसी सामाजिक यथार्थ ने राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया और सामाजिक सुरक्षा को कल्याणकारी राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया। भारतीय राज्य ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वयं को एक लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 41 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराए। यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वैधानिक और नैतिक आधार को स्पष्ट करता है। समय के साथ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सामाजिक सहायता योजनाओं के माध्यम से राज्य ने कमजोर वर्गों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का विकास हुआ। [2]

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ केवल आर्थिक हस्तांतरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना का उपकरण भी हैं। पेंशन योजनाएँ विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है और जो श्रम बाजार से बाहर हो चुके हैं या कभी उसमें सम्मिलित ही नहीं हो पाए। वृद्धावस्था में आय के स्रोतों का समाप्त हो जाना, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, सामाजिक निर्भरता की भावना और पारिवारिक उपेक्षा जैसी परिस्थितियाँ उन्हें बहुआयामी वंचना की ओर ले जाती हैं। विधवाओं के संदर्भ में यह स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि भारतीय समाज में विधवा स्त्रियों को आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कई प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और सामाजिक स्वीकृति की कमी उनके जीवन को और कठिन बना देती है। इन परिस्थितियों में पेंशन योजनाएँ उनके लिए जीवन-रेखा का कार्य करती हैं। समकालीन समाजशास्त्रीय विमर्श में 'सामाजिक सुरक्षा' को केवल आय-सहायता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे सामाजिक समावेशन, सशक्तिकरण और मानव विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। [3] अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार है। इस दृष्टि से पेंशन योजनाएँ केवल वित्तीय सहायता नहीं देतीं, बल्कि वे लाभार्थियों की निर्णय-क्षमता, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता को भी प्रभावित करती हैं। जब किसी वृद्ध या विधवा को नियमित पेंशन प्राप्त होती है, तो वह अपने दैनिक जीवन के निर्णयों में अधिक स्वायत्तता अनुभव करता है। वह स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकता है, पोषण पर व्यय कर सकता है और परिवार में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को पुनर्गठित करने में सहायक होती हैं। [4]

ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 360-362 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i1.625
Volume: 4 | Issue: 1
April-June 2026

योजनाओं के अस्तित्व मात्र से उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। अनेक बार देखा गया है कि पेंशन की राशि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती, वितरण प्रक्रिया में विलंब होता है, पात्रता निर्धारण में त्रुटियाँ होती हैं और कई वास्तविक जरूरतमंद लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्रणालियों, बैंकिंग प्रक्रियाओं और दस्तावेजी औपचारिकताओं की जटिलता भी ग्रामीण एवं अशिक्षित लाभार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध होती है। इस संदर्भ में पेंशन धारकों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि योजनाएँ किस हद तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। [5]

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसमें केवल आय और व्यय का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य स्थिति, पोषण स्तर, आवास की गुणवत्ता, पारिवारिक संरचना, शिक्षा की उपलब्धता, सामाजिक संबंधों की प्रकृति तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे पहलुओं को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यदि पेंशन की राशि परिवार की कुल आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यय और पारिवारिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इसी प्रकार, यदि पेंशन प्राप्तकर्ता को सामाजिक मान्यता और सम्मान प्राप्त होता है, तो यह उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करता है।

IV. निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ भारत के कल्याणकारी राज्य की एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनका उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर वृद्धजनों, विधवाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लाभार्थियों के सामाजिक समावेशन, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान तथा जीवन की गुणवत्ता में भी सकारात्मक योगदान देती हैं। नियमित पेंशन से लाभार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं, स्वास्थ्य संबंधी व्यय तथा पारिवारिक सहयोग में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलता है। पेंशन राशि की अपर्याप्तता, भुगतान में विलंब, पात्रता निर्धारण की त्रुटियाँ, डिजिटल एवं बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता तथा प्रशासनिक बाधाएँ योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इन चुनौतियों के कारण अनेक वास्तविक पात्र व्यक्ति समय पर योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अतः आवश्यक है कि पेंशन राशि को समय-समय पर महँगाई के अनुरूप संशोधित किया जाए, लाभार्थियों की पहचान एवं भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए तथा ग्रामीण एवं अशिक्षित लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए। प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी तथा जन-जागरूकता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को अधिक समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है। इस प्रकार ये योजनाएँ सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा तथा मानवीय गरिमा की स्थापना में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय.
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2024). वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24. नई दिल्ली: ग्रामीण विकास विभाग.
3. सेन, अमर्त्य. (1999). विकास के रूप में स्वतंत्रता (Development as Freedom). नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
4. द्रेज़, जीन एवं सेन, अमर्त्य. (2013). भारत: एक अनिश्चित गौरव (An Uncertain Glory: India and Its Contradictions). नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया.
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2021). विश्व सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन 2020–22: सामाजिक सुरक्षा एक नए मोड़ पर (World Social Protection Report 2020–22). जेनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय.